

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
7	<u>प्रशासनिक सुधार (नोडल विभाग)</u> / गृह/सूचना एवं जनसम्पर्क/ स्वास्थ्य/ आयुर्वेद/ शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा	<ol style="list-style-type: none"> मादक पदार्थों की माँग एवं आपूर्ति नियन्त्रित करने के लिये प्रभावी कदम। नारकोटिक्स फसलों को नष्ट करना तथा NDPS कानून को सख्ती से लागू करना। मादक पदार्थों के बारे में जानकारी देने तथा जब्त करवाने की सूचना देने वाले/पुलिस बल को उचित ईनाम राशि प्रदान करना। प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मादक पदार्थों के दुष्परिणाम बारे जानकारी प्रदान करना। मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से मादक पदार्थों के आदी लोगों को इससे दूर रहने की सलाह प्रदान करना तथा व्यसन मुक्ति के लिए कैंप, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना। 	
10	<u>योजना (नोडल विभाग)</u> / समस्त सम्बन्धित विभाग	सतत् विकास के अधिकतर लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 2030 की समय सीमा से पहले वर्ष 2022 तक प्राप्त करना।	
14	<u>राजस्व (नोडल विभाग- मद सं0-1)</u> / प्रशासनिक सुधार/ अर्थ एवं संख्या/ सभी विभाग	<ol style="list-style-type: none"> राज्य के सभी अधिनियमों, नियमों तथा योजनाओं की उनके प्रभावों, प्रासंगिकता तथा सरलीकरण की कसौटी पर समीक्षा। सभी विभाग सरलीकरण पश्चात प्रस्ताव आगामी 6 महीनों में मन्त्रीमण्डल के समक्ष लाएंगे। "ऑन लाईन" डाटा एकत्रित करने की प्रणाली विकसित करना। हर जिले के दूर-दराज क्षेत्रों में "जन मंच" का आयोजन। 	
15	मुख्य मन्त्री कार्यालय (परियोजना अनुश्रवण कक्ष)	विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ की जानकारी के लिये "जन अधिकार पुस्तिका" तैयार करना।	
16	लोक निर्माण/ सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रबन्धन हेतु Works Management Information System (WMIS) लागू करना।	
17	<u>राजस्व (नोडल विभाग)</u> / कोष एवं लेखा/ सूचना प्रौद्योगिकी	नई "ई-स्टैमिंग" योजना का प्रारम्भ।	
18	सूचना प्रौद्योगिकी	<ol style="list-style-type: none"> सभी ग्राम पंचायतों को, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारत नेट फेज-2 के अन्तर्गत तीव्र गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। कागज रहित कार्यालय वातावरण के अन्तर्गत 5 अतिरिक्त विभागों में ई-ऑफिस लागू करना। 	
19	सूचना प्रौद्योगिकी/ समस्त विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 5 लाख से ज्यादा सरकारी खरीद प्रक्रिया की निविदाओं को e-procurement Portal के माध्यम से जारी करना एवं Government e-Market (GeM) पर उपलब्ध वस्तुएं वहीं से क्रय करना। काँगड़ा जिले में आई0टी0 पार्क का निर्माण। 	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
20	ग्रामीण विकास/ योजना	<ol style="list-style-type: none"> 1. नई योजना "मुख्यमंत्री लोक भवन" योजना का आरम्भ। 2. "विधायक क्षेत्रीय विकास निधि" की राशि को ₹1.25 करोड़ तथा "विवेक अनुदान" राशि को ₹7 लाख करना। 	
21	खाद्य एवं आपूर्ति	<ol style="list-style-type: none"> 1. राशन कार्ड धारकों को खाद्य उपदान योजना के अन्तर्गत 3 दालें, 2 लीटर खाद्य तेल तथा 1 किलो आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाना। 2. APL कार्ड धारकों द्वारा स्वेच्छा से मोबाइल एप के माध्यम से उपदान छोड़ना। 	
22	खाद्य एवं आपूर्ति	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्वचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (e-PDS) के अन्तर्गत सभी उचित मूल्य की दुकानों में PoS यन्त्र लगाना। 2. सभी राशन कार्डों को डिजिटिज करने की प्रक्रिया को पूर्ण करना। 3. राशन कार्डधारकों को मोबाइल पर राशन की उपलब्धता की सूचना पहुंचाने की व्यवस्था करना। 	
23	खाद्य एवं आपूर्ति	नई योजना "हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" को आरम्भ करना।	
24	खाद्य एवं आपूर्ति	<ol style="list-style-type: none"> 1. हिमाचल प्रदेश Hoarding & Prevention Order के अन्तर्गत मूल्य तथा लाभ प्रतिशत निर्धारित करने के प्रावधानों को समाप्त करना। 2. अन्य नियन्त्रण आदेशों को अभी abeyance में रखा जाना, केवल खाद्यान्नों की कमी होने पर ही इन्हें पुनः लागू करना। 	
25	उद्यान	<p>विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित "बागवानी विकास परियोजना" के अन्तर्गत कार्य:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कौलौनल रूट स्टॉक आधारित उच्च पैदावार वाली किस्मों के 2600 बगीचों की स्थापना। 2. उष्ण कटिबंधीय फल जैसे आम, लीची, अमरुद एवं नींबू प्रजाति के फलों के बगीचों को 400 हैक्टेयर में समूह के आधार पर लगाना। 3. न्यूज़ीलैंड के विशेषज्ञों द्वारा विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को Canopy and Floor Management में प्रशिक्षण प्रदान करना। 4. अंगीकृत कृषकों को छंटाई, पोषण एवं फ्लोर प्रबन्धन में प्रशिक्षण। 5. 3.70 लाख अधिक पैदावार वाली सेब किस्मों का कौलौनल रूट स्टॉक का आयात। 6. शिलारू तथा पालमपुर में दो श्रेष्ठ केन्द्र स्थापित करना। 7. सभी समूहों में सिंचाई की व्यवस्था। 8. CA शीतभण्डारण केन्द्र, ग्रेडिंग तथा पैकिंग घरों का निर्माण तथा मार्केट यार्डों का विकास। 	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
27	कृषि (नोडल विभाग) / सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य / उद्यान	<ol style="list-style-type: none"> 1. आगामी 5 वर्षों में शेष बचे हुए क्षेत्र में field Channels के माध्यम से अन्तिम खेत तक पानी पहुँचाना। 2. सिंचाई के लिये नई योजना "जल से कृषि को बल" का प्रारम्भ। 3. नई योजना "सौर सिंचाई योजना" का प्रारम्भ। 	
28	कृषि / उद्यान / विद्युत / आबकारी एवं कराधान	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी कृषकों को पोषकों के संतुलित उपयोग के लिए "Soil Health Card Scheme" के अन्तर्गत लाना। 2. किसानों को उच्च उत्पादकता वाले बीजों का वितरण। 3. किसानों को अच्छी किस्म वाले अनाज के बीज उपदान पर उपलब्ध करवाना। 4. बागवानों को अच्छी किस्म की पौध पर अनुदान उपलब्ध करवाना। 5. कृषकों को सिंचाई के लिए बिजली की वर्तमान दर ₹1 प्रति युनिट से घटाकर 75 पैसे प्रति युनिट करना। 6. सेब, अन्य फलों तथा सब्जियों को H.P. Certain Goods Carried by Roads कर से पूर्ण रूप से छूट प्रदान करना। 	
29	कृषि (नोडल विभाग) / उद्यान / पशुपालन / कृषि विश्वविद्यालय / उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	<p>जैविक खेती एवं जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन हेतु आवश्यक पग:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषकों तथा कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विभाग के विस्तार अधिकारियों को इस नई प्रणाली में प्रशिक्षित करना। 2. विश्वविद्यालयों द्वारा इसके लिए Package of Practices तैयार करना। 3. रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित करना। 4. कृषि एवं बागवानी विभाग को कीटनाशक दवाईयों के लिए प्रावधित बजट जैविक कीटनाशकों के लिए उपयोग करना। 5. देसी गाय की नस्ल सुधार व संवर्धन के लिए नीति बनाकर उसे कार्यान्वित करना। 6. जैविक उत्पादों के विपणन तथा प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करना। 7. जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु तथा जैविक कीटनाशक संयन्त्र की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत निवेश उपदान प्रदान करना। 8. नई योजना "प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान" प्रारम्भ। 9. आगामी 5 वर्षों में हिमाचल को "जैविक कृषि" राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करना। 	
30	कृषि / उद्यान	खरीफ एवं रबी की बिजाई के पहले पूरे राज्य के सभी ब्लॉकों में तथा उसके पश्चात् उपयुक्त समय पर कृषक मेलों का आयोजन करना।	
31	पशुपालन	राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अन्तर्गत "नकुल स्वास्थ्य पत्र" जारी करना।	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
32	कृषि/ उद्यान	Mukhya Mantri Green House Renovation Scheme के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पॉलीथीटस बदलने पर अनुदान को बढ़ाना।	
33	कृषि/ उद्यान	1. नई घोषणा के अनुरूप प्रदेश में "कृषि उपकरण सुविधा केन्द्र" की स्थापना करना। 2. National Mission for Extension and Technology के अन्तर्गत कृषकों को कृषि यन्त्र उपलब्ध करवाना।	
34	उद्यान	ओलावृष्टि से बागवानी फसलों को बचाने के लिए 30 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में संरक्षित खेती के लिए Anti Hailnet प्रदान करना।	
35	उद्यान	"बागवानी सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत बागवानों को एन्टी हेलगन लगाने के लिए उपदान।	
36	कृषि/ उद्यान	"मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना" के अन्तर्गत तीन या इससे अधिक किसानों द्वारा सामूहिक तौर पर सोलर बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर 85 प्रतिशत अनुदान।	
37	कृषि/ उद्यान/ उद्योग	1. विश्व बैंक "बागवानी विकास योजना" के अन्तर्गत विभिन्न सी0ए0 केन्द्रों तथा ग्रेडिंग एवं पैकिंग घरों का निर्माण/उन्नयन। 2. बागवानों एवं सब्जी उत्पादकों को 50 प्रतिशत उपदान पर प्लास्टिक क्रेट उपलब्ध करवाना। 3. भारत सरकार की "प्रधानमन्त्री कृषि सम्पदा योजना" के अन्तर्गत एकीकृत शीत भण्डारण, खाद्यान्न प्रसंस्करण (Processing) तथा संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाना। 4. कृषि प्रसंस्करण (Processing) समूह की अधोसंरचना का विकास कार्य। 5. भारत सरकार से इस योजना में सहायता लेने वाली विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव आमन्त्रित करना। 6. खाद्यान्न विधायन से जुड़े उद्योगों को Potato Chips का उद्योग काँगड़ा व कुल्लू जिले में स्थापित करने के लिए आमन्त्रित करना। 7. प्रदेश में कटाई उपरान्त Processing अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को 1 प्रतिशत की दर से पट्टे पर देने बारे।	
38	कृषि	JICA फसल विविधिकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों को शामिल करना।	
39	उद्यान	प्रदेश के निम्न ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आम, लीची, अमरुद, नींबू, पपीता, सपोटा, अनार, परसीमन तथा किवी फलों की बेहतर खेती को बढ़ावा।	
40	उद्यान/ कृषि/ परिवहन	1. नई योजना "हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना" का शुभारम्भ। 2. निजी क्षेत्र को पुष्प विपणन क्षेत्र में सहभागिता के लिए तथा कृषि सम्पदा योजना के अन्तर्गत CA कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। 3. फूलों की खेती उपरान्त फूलों के परिवहन के लिए माल भाड़े के शुल्क को 25 प्रतिशत तक कम करना।	
41	कृषि/ उद्यान	कृषकों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा दिलाने की	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
		दृष्टि से "प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना" के अंतर्गत सभी फसलों को एवं "मौसम आधारित बीमा योजना" के अंतर्गत सभी फलों व क्षेत्रों को सम्मिलित करना।	
42	कृषि/ उद्यान	1. विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत राज्य में नई मण्डियों का उन्नयन। 2. मार्किट यार्डों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से साथ जोड़ना। 3. Himachal Pradesh Agriculture Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation Bill) 2018 का प्रस्ताव।	
43	पशुपालन	1. जन-जातीय भेड़ पालकों को 60 प्रतिशत उपदान के साथ 1,000 प्रजनन भेड़ें देने का प्रावधान। 2. "कृषक बकरी पालन योजना" के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अनुदान के साथ 11 बकरियों की एक ईकाई प्रदान करना जिसमें हिमालयन प्रजाति का एक बकरा भी हो। 3. 5,000 ब्रॉयलर योजना में मुर्गीपालन संवर्धन योजना के लिए 50 नई इकाईयों की स्थापना।	
44	पशुपालन	1. दुग्ध एकत्रीकरण एवं वितरण की प्रतिपूर्ति हेतु ₹1 प्रति-लीटर की दर से भाड़ा उपदान। 2. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा स्थापित किए जाने वाली दुग्ध विधायन व अभिशीतन इकाईयों पर 75 प्रतिशत उपदान। 3. दूध खरीद मूल्य को ₹1 प्रति-लीटर बढ़ाना।	
45	कृषि (नोडल विभाग)/ पशुपालन	"उत्तम चारा उत्पादन योजना" के अन्तर्गत कृषकों को उन्नत प्रकार के चारा, बीज व भूसा काटने की मशीनें उपलब्ध करवाना तथा अजोला घास को प्रोत्साहित करना।	
46	पशुपालन	1. नई योजना "डेरी उद्यमी विकास योजना" के अन्तर्गत बैंक के ऋण पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त उपदान। 2. अच्छी नस्ल की देसी गाय खरीदने पर बैंक के ऋण पर 20 प्रतिशत उपदान।	
47	पशुपालन	सामान्य वर्ग के बी0पी0एल0 परिवारों को उपदान पर दुधारू पशुओं के लिए पशु आहार उपलब्ध करवाना।	
48	उद्यान	नई योजना "मुख्यमन्त्री मधु विकास योजना" शुरू करना।	
49	पशुपालन	ऊन खरीद मूल्य को 10 प्रतिशत बढ़ाना।	
50	कृषि/ उद्यान	उपदान वाली समान योजनाओं में सहायता ढांचे तथा आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु कृषि एवं उद्यान विभागों की संयुक्त समिति का गठन।	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
51	मत्स्यपालन/ राजस्व	<ol style="list-style-type: none"> 100 ट्राउट रेसवेज में 5 लाख ट्राउट बीज का भण्डारण। प्रदेश में 11 नई ट्राउट हैचरियों तथा 100 ट्राउट इकाईयों की स्थापना। मछुआरों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करवाने के लिये समुचित मत्स्य संस्थान कोच्चि का सहयोग प्राप्त करना। मछुआरों को उचित दाम पर Fish Feed की उपलब्धता हेतु Fish Feed इकाई की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु भूमि कय हेतु स्टैम्प ड्यूटी 3 प्रतिशत तथा यन्त्र एवं मशीनों पर 50 प्रतिशत उपदान। 	
52	पशुपालन	<ol style="list-style-type: none"> हिमाचल प्रदेश में "गौ-सेवा आयोग" का गठन। देसी गायों की नस्ल सुधार व इसके पालन के लिए विशेष प्रोत्साहन। गोमूत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत निवेश अनुदान। 	
53	<u>पशुपालन (नोडल विभाग)</u> / आबकारी कराधान / ग्रामीण विकास / पंचायतीराज / भाषा, कला एवं संस्कृति	<ol style="list-style-type: none"> गौसदनों हेतु "हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान तथा मंदिर न्यास अधिनियम" में समुचित संशोधन। प्रदेश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल ₹1 का गौवंश विकास Cess। पशुओं के पंजीकरण व टैगिंग को सख्ती से लागू करना। गाँव की सार्वजनिक चरागाहों की पहचान तथा उनका प्रबन्धन। गौसदन स्थापित करने के लिए सरकारी भूमि ₹1 पट्टे पर देना। बेसहारा पशुओं को महिला मण्डलों द्वारा देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा समुचित उपदान का प्रावधान। प्रत्येक विकास खण्ड की एक सर्वोत्तम पंचायत, जहां शत-प्रतिशत पशु पंजीकृत हैं व उन पर टैगिंग कायम है, तथा जहां पशु मालिक, पशुओं को नहीं त्यागते हैं, को विकास कार्यो के लिए ₹10 लाख का पुरस्कार प्रदान करना। 	
55	ग्रामीण विकास / पंचायत / शहरी विकास	<ol style="list-style-type: none"> ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबन्धन। मनरेगा में बेहतर पानी निकासी के लिए सड़क के साथ नालियों व मकानों के साथ छोटे पिट का निर्माण। कचरा एकत्रिकरण हेतु पिकअप वाहन खरीद पर उपदान। 	
56	ग्रामीण विकास	मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन करना।	
57	ग्रामीण विकास / पंचायतीराज	स्वयं सहायता समूहों को और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके Revolving Fund को 40,000 रुपये तक बढ़ाना।	
58	ग्रामीण विकास / पंचायतीराज	मुख्यमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त आवासों के पुनर्निर्माण हेतु तुरन्त धन राशि उपलब्ध करवाना।	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
59	ग्रामीण विकास/ पंचायतीराज	1. हर पंचायत में चरणवद्ध रूप से एक पंचायत में "ग्राम गौरव पट्ट" लगाना। 2. प्रत्येक पंचायत में चरणवद्ध तरीके से नई योजना के तहत "मोक्ष धाम" का निर्माण।	
60	ग्रामीण विकास/ पंचायतीराज	अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिये जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के लिये अतिरिक्त बजट प्रदान करना।	
61	ग्रामीण विकास/ पंचायतीराज	1. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना। 2. बैठक में भाग लेने आए सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता बढ़ाना।	
63	वन	1. राज्य CAMPA की निधि से अगले 3 वर्षों में 22 वन विहार/इको पार्क की स्थापना। 2. प्रदेश में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 25 नए इको पर्यटन स्थान आवंटित करना। 3. चीड़ पत्तियों पर आधारित उद्योगों को 50 प्रतिशत निवेश उपदान। 4. सभी वन उत्पादों तथा उखड़े पेड़ों के एकत्रीकरण व नीलामी के लिए कारगर नीति बनाना।	
64	वन	वन कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें उपयुक्त शस्त्र देने की योजना।	
65	वन	नई योजना "वन समृद्धि, जन समृद्धि" का प्रारम्भ।	
67	वन/ शिक्षा	1. नई योजना "सामुदायिक वन संवर्धन योजना" का प्रारम्भ। 2. नई योजना "विद्यार्थी वन मित्र योजना" का प्रारम्भ।	
68	पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	1. सुन्दरनगर में पर्यावरण प्रबन्धन सुविधा के सुदृढीकरण हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की एक नई प्रयोगशाला की स्थापना। 2. हिमाचल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग को बायो मेडिकल कचरा शोधन संयन्त्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 3. प्रदेश के 12 स्थानों पर जनता को प्रदूषण स्तर के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले स्क्रीन। 4. बोर्ड द्वारा शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए 10 शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी उपायों की जानकारी प्रदान करना।	
69	पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ उद्योग/ हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	1. राज्य में संचालित उद्योगों का पर्यावरण ऑडिट। 2. दो जिलों में जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता को कम करने हेतु ज्ञानवर्धक योजना। 3. ब्यास नदी बेसिन में स्थित कुल्लू, मण्डी, हमीरपुर तथा काँगड़ा के गाँवों में जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता का आकलन। 4. प्रथम चरण में लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पर्यटन विभागों के लिए ऑनलाईन निगरानी प्रणाली विकसित करने हेतु आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक केन्द्र के माध्यम से लोक प्रशासन व नागरिक सेवा को प्रभावशाली बनाना।	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
70	पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ उच्च शिक्षा	1. चम्बा, कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा सिरमौर जिलों के चयनित एक-एक गाँव में विज्ञान ग्राम की स्थापना। 2. प्रदेश के युवा छात्र एवं छात्राओं में विज्ञान के प्रति रूची बढ़ाने के उद्देश्य से "युवा विज्ञान पुरस्कार" प्रारम्भ करना।	
71	सहकारिता	मण्डी तथा सोलन जिलों में "एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना" का द्वितीय चरण।	
72	शहरी विकास	1. सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकायों को नई योजना "श्रेष्ठ शहर योजना" के अन्तर्गत पुरस्कृत। 2. बद्दी, मण्डी, धर्मशाला, काँगडा तथा मनाली में क्लस्टर आधार पर ठोस कचरा संयन्त्र। 3. सभी 54 शहरी स्थानीय निकायों में लोगों के गृह निर्माण प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए ऑनलाईन गृहनिर्माण प्रस्ताव अनुमोदन प्रणाली। 4. नगर पालिका क्षेत्रों में पार्क विकसित करने के लिए शहरी निकायों को 60 प्रतिशत अनुदान। 5. निजी जन सहभागिता (PPP) आधार पर पार्किंग का निर्माण।	
73	शहरी विकास	नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगमों के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ौतरी।	
74	नगर एवं ग्राम नियोजन	1. आवासीय परिसरों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा वाणिज्यिक विकास के लिए लैंड पूलिंग के प्रोत्साहन हेतु नगर व ग्राम नियोजन अधिनियम में आवश्यक संशोधन। 2. अभियन्ताओं व वास्तुकारों जैसे पेशेवरों की निर्देशिका बनाकर विभागीय वेबसाइट पर डालना।	
75	राजस्व/ सूचना प्रौद्योगिकी	1. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए "National Generic Document Registration System" का प्रारम्भ। 2. "सरकारी भूमि" मॉड्यूल को शुरु करना।	
76	राजस्व/ आपदा प्रबन्धन	सूखे की स्थिति में प्रदेश आपदा प्रबन्धन निधि से पेयजल, चारा तथा किसानों के लिए खरीद उपदान।	
77	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	1. चयनित शहरों में पायलट आधार पर 24X7 जल की उपलब्धता। 2. चालू 3,448 पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए चरणबद्ध रूप से ऑटोमेशन।	
78	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	व्यक्तिगत लाभार्थियों को 75 प्रतिशत मूल्य पर हैंडपम्प।	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
80	वन (नोडल विभाग- मद सं0.2) / उद्योग / पर्यटन / वन / राजस्व / विद्युत मुख्य मन्त्री कार्यालय (परियोजना अनुश्रवण कक्ष)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>पट्टे पर भूमि</u> नियमों के सरलीकरण एवं मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन। 2. <u>वन संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम में अनुमतियाँ</u> (i) प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने तथा अनुमतियों की नियमित परिवीक्षा करना। (ii) भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 5 हैक्टेयर तक की शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegation) का मामला। 3. <u>"अन्नापत्ति प्रमाणपत्रों</u> की आवश्यकताओं को कम करना तथा तय समय सीमा में न दिए जाने की स्थिति में डीम्ड अनुमति मानने का प्रावधान। 4. <u>हिम प्रगति</u> की नई योजना के तहत बहुउद्देशीय पन-बिजली, औद्योगिक, पर्यटन तथा अन्य संरचना परियोजनाओं की मुख्य मन्त्री द्वारा ऑनलाइन Monitoring प्रणाली का प्रावधान। 	
81	उद्योग	प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु नीति।	
82	उद्योग / आबकारी कराधान	<ol style="list-style-type: none"> 1. लोहा व स्टील, धागा तथा प्लास्टिक के सामान पर AGT को वर्तमान दर से 25 प्रतिशत कम करना। 2. नए उद्योगों को नियत वर्ष/राशि के लिए तथा वर्तमान उद्योगों को वैट के प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन के बचे समय के लिए नेट State Goods and Services Tax की आंशिक अदायगी के लिए कारगर नीति। 	
83	उद्योग	चम्बा जिले के बडोहशिंद में सीमेंट संयन्त्र तथा सिरमौर के नौहराधार में सफेद सीमेंट संयन्त्र के लिए बोली (Bidding) लगाकर उद्यमियों का चयन।	
84	उद्योग / लोक निर्माण / राजस्व	<ol style="list-style-type: none"> 1. कन्दरोड़ी व पंडोगा औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य प्राथमिकता पर पूरा करना। 2. औद्योगिक प्लॉट के लिए भूमि को 90 साल के लिए पट्टे का प्रावधान। 3. बरोटीवाला-मंधाला-परवाणु तथा बरोटीवाला गुनाई परवाणु सड़क को चौड़ा करना। 	
85	उद्योग	सभी खनन स्थानों को ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं द्वारा आबंटन।	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
86	उद्योग / विद्युत	<ol style="list-style-type: none"> वर्तमान छोटे उद्योगों पर विद्युत शुल्क को 2 प्रतिशत तथा मझोले उद्योगों पर विद्युत शुल्क को 3 प्रतिशत घटाना । सभी नए छोटे व मझोले उद्योगों को 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क से छूट । सभी नए लघु उद्योगों (नकारात्मक सूचि में आने वाले उद्योगों को छोड़कर) को 5 वर्ष तक ₹4.50 की दर से विद्युत आपूर्ति का प्रावधान । HPERC के समक्ष HPSEBL द्वारा याचिका दायर करना ताकि वर्तमान उद्योगों के substantial expansion करने पर, खपत होने वाली अतिरिक्त बिजली व सभी नए उद्योगों को रियायती दर पर बिजली दी जा सके । 	
88	गैर परम्परागत उर्जा स्रोत / विद्युत	<ol style="list-style-type: none"> ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 15 मेगावाट की क्षमता जोड़ना । ग्रिड से जुड़े छत पर लगे ऊर्जा संयन्त्रों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाना । 	
89	गैर परम्परागत उर्जा स्रोत / विद्युत	समुचित बदलाव उपरान्त अगले 3 महिनों में पनविद्युत नीति में संशोधन कर इस नीति को स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक हितैषी बनाना जिसमें विद्युत परियोजनाओं की बढ़ती लागत, अनुमतियों में विलम्ब एवं विद्युत निकासी में आने वाली कठिनाइयों इत्यादि का समाधान निहित होगा ।	
90	हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लि0	प्रदेश भर में प्रणाली सुदृढ कर ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोलटेज की समस्या का समाधान ।	
91	पर्यटन	<ol style="list-style-type: none"> नए क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना के विकास हेतु एक विशेष प्रस्ताव एषियन विकास बैंक (ADB) परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को भिजवाना । नई योजना "नई राहें नई मंजिलें" का प्रारम्भ । 	
92	पर्यटन	<ol style="list-style-type: none"> हेली-टैक्सी सेवा के लिए हेली-टैक्सी मार्गों की पहचान । चण्डीगढ़ से शिमला एवं शिमला से राज्य के अन्य भागों के लिए हेली-टैक्सी सेवा प्रारम्भ करने हेतु कदम । उड़ान-2 योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त हेलीपैडों का निर्माण । 	
93	पर्यटन	"स्वदेश दर्शन कार्यक्रम" के अन्तर्गत नई योजना "धार्मिक सर्किट" की अधोसंरचना के विकास की परियोजना भारत सरकार को प्रेषित करना ।	
94	पर्यटन (नोडल विभाग) / विद्युत	<ol style="list-style-type: none"> पौंग, कोल, भाखड़ा एवं चमेरा बान्धों के जलाशयों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करना । पानी के नए जलाशयों का विकास कर जल-क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कारगर योजना । तत्तापानी में जल-क्रीड़ा, स्थान के सौन्दर्यकरण, घाट बनाने के कार्य एवं गर्म पानी के स्रोतों को विकसित करना । 	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
95	पर्यटन	<ol style="list-style-type: none"> 1. आनंदपुर साहिब से नैना देवी रोपवे के निर्माण के पूर्व में रह प्रस्ताव को पुनः पंजाब सरकार से उठाना। 2. धर्मकोट से त्रियूँड, जंजैहली से शिकारी माता व अन्य पर्यटन स्थलों पर रोपवे निर्माण की संभावनाएँ तलाशना। 	
96	पर्यटन	<ol style="list-style-type: none"> 1. पर्यटकों के लिए सभी सूचनाओं वाला मोबाईल ऐप का प्रावधान। 2. युवाओं को होम स्टे, पाक कला, संचार और विपणन, व्यवहारकुशलता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण आदि पर प्रशिक्षण। 3. ट्रेकिंग गाइडों, पर्यटन गाइडों एवं टैक्सी ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल। 4. पर्यटक स्थलों में अधिक मनोरंजन गतिविधियों का प्रारंभ। 	
97	उद्योग / ग्रामीण विकास / श्रम एवं रोजगार / राजस्व / पर्यटन	<ol style="list-style-type: none"> 1. नई योजना "मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना" को आरम्भ कर निम्न सुविधाएँ प्रदान करना:- <ol style="list-style-type: none"> (क) उद्योग में ₹40 लाख तक के निवेश पर संयन्त्र/मशीनरी के निवेश पर 25 प्रतिशत पूँजी उपदान। युवतियों/महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश पर 30 प्रतिशत उपदान। (ख) ₹40 लाख के ऋण पर 3 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत ब्याज उपदान। (ग) 1 प्रतिशत की दर पर सरकारी भूमि को पट्टे पर देना एवं भूमि देने की प्रक्रिया का सरलीकरण। (घ) युवाओं द्वारा निजी भूमि की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी को 3 प्रतिशत घटाना। 2. नई योजना "मुख्यमन्त्री युवा आजीविका योजना" का प्रारम्भ कर निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करना:- <ol style="list-style-type: none"> 1. ₹30 लाख तक की राशि तक, भूमि व मकान को छोड़कर किए निवेश पर 25 प्रतिशत उपदान। महिला उद्यमियों के लिए 30 प्रतिशत उपदान। 2. ₹30 लाख तक के ऋण पर 3 वर्षों के लिए, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान। 3. व्यापार तथा सेवा कार्य आरम्भ करने हेतु भूमि तथा भवन के क्रय पर स्टैम्प ड्यूटी को 3 प्रतिशत घटाना। 3. "उद्यम विकास कार्यक्रम" का आयोजन ताकि उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके। 	
98	कौशल विकास निगम / ग्रामीण विकास	<ol style="list-style-type: none"> 1. नई योजना "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना" को लागू करना। 2. एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसर। 3. "प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना" के अन्तर्गत रोजगार सम्बन्धी कौशल को बढ़ावा। 	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
99	श्रम एवं रोजगार	<ol style="list-style-type: none"> हिमाचली युवाओं के कौशल विकास हेतु कौशल विकास भत्ता जारी रखना। अंग्रेजी भाषा बोलने हेतु प्रशिक्षण के लिए अच्छी संस्थाओं को सूचीबद्ध करना। उद्योगों में रोजगार प्राप्त युवाओं को 2 वर्ष तक कौशल विकास भत्ता। 	
100	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम अधिकारिता	<ol style="list-style-type: none"> अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एकल महिला, विधवा एवं परित्यक्त नारियों को रोजगार दिलाने के लिए कौशल प्रशिक्षण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के उन विद्यार्थियों को, जिन की पारिवारिक आय ₹3 लाख वार्षिक से कम है, को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण एवं निशुल्क कोचिंग का प्रावधान। दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण अवसरों के लिए एक व्यापक कार्य योजना। 	
102	श्रम एवं रोजगार / कौशल विकास निगम	<ol style="list-style-type: none"> सभी रोजगार केन्द्रों का "कौशल पहचान केन्द्र तथा आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्र" के रूप में परिवर्तन। रोजगार मेले एवं कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से कौशल युक्त लोगों को रोजगार। सभी जिलों एवं खण्डों में रोजगार मेले एवं कैम्पस साक्षात्कार का आयोजन। 	
104	परिवहन / सूचना प्रौद्योगिकी	<ol style="list-style-type: none"> आम जनता की सुविधा के लिए ऑनलाईन प्रणाली द्वारा विभिन्न लोक सेवाएं। RTO तथा RLA कार्यालयों में POS मशीनों की स्थापना। हिमाचल पथ परिवहन निगम, बसों में "स्वाईप/टैप मशीन" का प्रावधान। पास धारकों/छूट प्राप्त श्रेणियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा। सभी बस अड्डों पर तथा चुने हुए बस स्टॉप पर इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड का प्रावधान। 	
105	परिवहन	<ol style="list-style-type: none"> डीलर प्वाइंट पर ऑनलाइन वाहन पंजीकरण का सॉफ्टवेयर। डीलर द्वारा नम्बर जारी करने के लिए सभी करों को साईबर कोष के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाना तथा पूरे दस्तावेज पंजीकरण अधिकारी के पास भेजने का प्रावधान। चुने हुए नम्बरों के लिए एक निश्चित राशि तय कर e-Auction/Bidding की सुविधा। पर्यटकों की गाड़ियों को Composite शुल्क के भुगतान के लिए e-way bill की तरह ऑनलाईन चेक पोस्ट जैसे समाधान का प्रयोग। 	
106	परिवहन	<ol style="list-style-type: none"> सड़क परिवहन में रोजगार के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए 1500 नए बस परमिट। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा बस अड्डों में शौचालय ब्लॉकों के संचालन का कार्य। 	
107	लोक निर्माण	DPR तैयार करने के कार्य को त्वरित गति प्रदान	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
		करने हेतु मार्च, 2018 के अन्त तक सभी सड़कों के लिए सलाहकार नियुक्त करना।	
110	लोक निर्माण	<ol style="list-style-type: none"> 1. सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली का प्रावधान। 2. मुख्यमन्त्री कार्यालय के अधीन एक स्वतन्त्र गुणवत्ता परीक्षण स्क्वैड (Independent Quality Check Squad) का गठन। 3. सड़कों की टारिंग का लक्ष्य 1785 किलोमीटर से बढ़ाकर 2,500 किलोमीटर करना। 4. सड़कों के रख-रखाव के लिए एक अलग निधि बनाने का प्रस्ताव। 5. OPBMC(Output and Performance Based Maintenance contract) नामक पायलट परियोजना के अन्तर्गत 350 किलोमीटर के अतिरिक्त मार्ग। 6. नई योजना “Himachal Road Improvement Scheme” जिसके अन्तर्गत Cross Drainage अनिवार्य होगा। 	
111	लोक निर्माण	रोहतांग दर्रे को सर्दियों में भी खुला रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं का आमन्त्रण।	
112	लोक निर्माण	<ol style="list-style-type: none"> 1. HP State Road Project-II के अन्तर्गत 650 किलोमीटर के प्रमुख जिला मार्गों का उन्नयन। 2. 1350 किलोमीटर सड़क मार्गों पर समय-समय पर रख-रखाव तथा अन्य संस्थागत विकास कार्य। 	
113	लोक निर्माण	<ol style="list-style-type: none"> 1. तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रमुख पुलों की सुरक्षा का लेखा परीक्षण। 2. चिन्हित 697 दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर सड़क की Alignment साइन बोर्ड, रेलिंग का प्रावधान। 3. मुख्यमन्त्री सड़क योजना के अन्तर्गत गाँवों/बस्तिओं को शीघ्रता से सड़क से जोड़ना। 4. (क) 600 किलोमीटर सड़कें (ख) 35 पुलों का निर्माण (ग) 1100 किलोमीटर सड़कों को पक्का करना (घ) 750 किलोमीटर सड़कों में जल-निकासी का कार्य पूर्ण। 	
115	शहरी विकास/ लोक निर्माण/ परिवहन/ स्वास्थ्य/ आयुर्वेद/ IDB	<p>अधोसंरचना के निर्माण व सेवाओं हेतु Pubic Private Partnership (PPP) आधारित कार्यों के लिये आवश्यक कदम:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिये शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि पर पार्किंग व व्यवसायिक परिसरों का निर्माण। 2. पुलों, सुरंगों व वैकल्पिक सड़कों का निर्माण। 3. सड़क के साथ बने Bus Stop का निर्माण। 4. अस्पतालों में अच्छी Diagnostic सुविधा देने के लिए उच्च मूल्य के उपकरणों को लगाना। 	
116	आबकारी एवं कराधान	डीलरों के हित के लिए “The Himachal Pradesh Settlement of Pending Assessment Cases Bill” 2018 को ला कर डीलरों के हित की सुविधा।	
117	आबकारी एवं	1. शराब की बिक्री हेतु पुरानी थोक बिक्री व्यवस्था की	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
	कराधान	बहाली। 2. आबकारी कार्यो पर प्रभावी निगरानी के लिए उत्पादन से खपत तक पूरी श्रृंखला हेतु एक कम्प्यूट्रीकृत व्यवस्था का प्रावधान।	
119	शिक्षा	1. 2137 सरकारी उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में Multimedia Teaching Aids का उपयोग। 2. स्कूलों में पढ़ाने/बोलचाल के कौशल को बढ़ाने के लिए 36 भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना। 3. प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा नियत परिमाणों के आधार पर करना। 4. शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए DIET तथा SCERT को अधिक प्रासंगिक बनाना। 5. SCERT की सहायता से योग पाठ्यक्रम तैयार करना। 6. शिक्षण ज्ञान बढ़ाने के लिये विद्यालयों में "Joy of Learning" Session चलाना। 7. शिक्षकों के स्थानान्तरण तथा पदभार सम्भालने हेतु एक ठोस तथा पारदर्शी स्थानान्तरण नीति का प्रावधान। 8. "Eklavya Model Residential School" योजना के अन्तर्गत हिमाचल में विद्यालयों को शीघ्र खोलने हेतु मामला भारत सरकार से उठाने बारे।	
120	शिक्षा	नई योजना "मुख्यमन्त्री आदर्श विद्या केन्द्र" के तहत प्रथम चरण में 10 आदर्श विद्यालयों की स्थापना।	
121	शिक्षा	सभी स्कूलों में परीक्षा की समाप्ति के अगले दिन को "पुस्तक दान दिवस" मनाना।	
122	शिक्षा	"अटल वर्दी योजना" के अन्तर्गत पहली, तीसरी, छठी तथा नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक स्कूल बैग का प्रावधान।	
123	शिक्षा	1. "अटल ईनोवेशन मिशन" के अन्तर्गत चुने हुए विद्यालयों में "Atal Tinkering Labs" की स्थापना। 2. सभी विद्यालयों में माह में एक दिन "Bag Free Day" घोषित करना।	
124	शिक्षा	नई योजना "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" का आरम्भ।	
125	शिक्षा	नई "मेधा प्रोत्साहन योजना" का प्रारम्भ।	
127	तकनीकी शिक्षा	1. विद्यार्थियों को श्रम बाजार की आवश्यकतानुसार तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण। 2. रैहन में नए बहुतकनीकी संस्थान का कार्य आरम्भ करना।	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
128	भाषा, कला एवं संस्कृति	<ol style="list-style-type: none"> 1. समृद्ध हिमाचली विरासत के बारे में अवगत कराने के लिए छोटे सांस्कृतिक स्मृति चिन्ह, बनाना। 2. प्रदेश के विभिन्न भागों में शिल्प ग्राम मेलों का आयोजन। 3. विद्यार्थियों, अनुसन्धान कर्ताओं के लाभ के लिए विलुप्त होती पाण्डूलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों को Digitise करना तथा एक डिजिटल पुस्तकालय बनाना। 4. नई योजना "आज पुरानी राहों से" का आरम्भ। 5. जिला मुख्यालयों में इन्डोर सभागृहों जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, का निर्माण। 6. वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कवियों/लेखकों/ साहित्यकारों को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्तों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना। 7. नई योजना "देव भूमि दर्शन" का प्रारम्भ। 	
129	युवा सेवा एवं खेल	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिलों में बहुउद्देशीय इन्डोर कॉम्प्लेक्स जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, का निर्माण। 2. "मुख्यमन्त्री खेल विकास योजना" के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक खेल के मैदान का विकास। 	
130	सूचना एवं जनसम्पर्क	"हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना" के अन्तर्गत सेवारत एवं सेवानिवृत्त मान्यताप्राप्त पत्रकारों को आपातकालीन चिकित्सा राशि में बढ़ौतरी।	
132	स्वास्थ्य	नई योजना "स्वास्थ्य में सहभागिता योजना" का आरम्भ।	
133	स्वास्थ्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. "मुख्यमन्त्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना" के लाभार्थियों को भारत सरकार की योजना 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना' की तर्ज पर स्वास्थ्य सुरक्षा। 2. उपरोक्त योजना को उपयुक्त प्रीमियम के साथ "Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme" के लाभार्थियों के लिए भी लागू करने का प्रावधान। 	
134	स्वास्थ्य	नई योजना "मुख्यमन्त्री निरोग योजना" का संचालन।	
135	स्वास्थ्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. "निःशुल्क दवा नीति" के अन्तर्गत 330 दवाएं निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान। 2. 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क हेमोफिलिया तथा इन्सुलिन की दवाओं का प्रावधान। 	
136	स्वास्थ्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. नई योजना "मुख्यमन्त्री आशीर्वाद योजना" का प्रारम्भ। 2. 10+2 तक की सभी छात्राओं को सैनितरी नैपकिन पैकेट ₹1 प्रति पैकेट की दर से उपलब्धता। 	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
137	स्वास्थ्य / मैडिकल शिक्षा एवं अनुसन्धान / इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज / आबकारी एवं कराधान	1. IGMC में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा। 2. 108 Ambulance Service के Operational Expenditure की पूर्ति हेतु शराब पर प्रति बोतल ₹ 1 का Cess। 3. प्रदेश के दूर-दराज के 50 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को टेलीमैडीसन के अन्तर्गत लाना। 4. पाँगी को टेली-मैडिसिन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत लाना।	
138	स्वास्थ्य	"मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष" के गठन के उपरान्त अनुदान देने हेतु शीघ्र नियम।	
139	स्वास्थ्य (नोडल विभाग) / शिक्षा / हि0 प्र0 विश्वविद्यालय / सचिवालय प्रशासन	1. "तम्बाकू मुक्त संस्थान कार्यक्रम" के द्वारा जागरूकता अभियान। 2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं सचिवालय परिसर को तम्बाकू रहित बनाना।	
140	आयुर्वेद (नोडल विभाग) / कृषि	1. आयुर्वेदिक औषधीय जड़ी-बूटियों के विपणन के लिए किसानों का देश की प्रमुख फार्मसियों के मध्य सम्पर्क स्थापित करवाना। 2. तीन चयनित ब्लॉकों करसोग, कसौली व ठियोग में अनीमिया की रोकथाम हेतु पायलट परियोजना। 3. राष्ट्रीय पोषण मिशन को चम्बा, हमीरपुर, सोलन तथा शिमला में लागू करना।	
141	महिला एवं बाल विकास / स्वास्थ्य / ग्रामीण विकास	1. नई व्यापक "सशक्त महिला योजना" को आरम्भ एवं सशक्त स्त्री केन्द्रों की स्थापना। 2. "स्वास्थ्य बीमा योजना" के अन्तर्गत क्रिटिकल केयर पैकेज में बढ़ौतरी तथा अतिरिक्त राशि केवल बालिकाओं को देय।	
142	महिला एवं बाल विकास	1. "मदर टेरेसा मातृ आश्रय सम्बल योजना" के अन्तर्गत दो बच्चों वाली परित्यक्ता/विधवाओं को प्रति बच्चा सहायता राशि में बढ़ौतरी। 2. "बेटी है अनमोल" के अन्तर्गत BPL परिवारों में कन्या जन्म पर राशि में बढ़ौतरी।	
144	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम अधिकारिता	1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹750 प्रतिमाह करना। 2. 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर ₹1,300 करना।	
145	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम अधिकारिता	दिव्यांगों की वर्तमान छात्रवृत्ति में 25 प्रतिशत बढ़ौतरी।	
146	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम अधिकारिता	प्रदेश के कुछ स्थानों पर "वरिष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र" का प्रावधान।	

वर्ष 2018-19 के बजट आषासनों की कार्यान्वयन प्रगति

पैरा संख्या	सम्बन्धित विभाग	बजट आषासन-2018-19	कार्यान्वयन प्रगति
148	सैनिक कल्याण	<ol style="list-style-type: none"> 1. भूतपूर्व सैनिकों को अनुमोदित सैन्य सेवा के लिए मिलने वाले वित्तीय लाभ को पुनः बहाल करना। 2. अर्धसैनिक बलों में हिमाचली शहीदों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर रोजगार का प्रावधान। 	
150	गृह	सोलन, हमीरपुर तथा चम्बा जिलों में एक-एक महिला पुलिस थाने की स्थापना।	
151	गृह	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपराधियों के डाटा हेतु स्वचलित Finger Print Identification प्रणाली व लाइव स्कैनर का क्रय। 2. यातायात उलंघन का मौके पर ही निपटारे/compound हेतु e-challan प्रणाली को पायलट आधार पर आरम्भ। 	
152	कोष एवं लेखा/ सूचना प्रौद्योगिकी	<ol style="list-style-type: none"> 1. सरकारी कार्यालयों के बिजली, पानी और टैलीफोन के बिलों के सीधे भुगतान को ई-बिल प्रणाली से जोड़ना 2. ई-सेलरी में कर्मचारियों का आधार नम्बर दर्ज करना। 	
154	कार्मिक/ वित्त	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 जुलाई, 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अन्तरिम सहायता। 2. पार्ट टाइम वाटर कैरियर को मानदेय में ₹300 की बढ़ौतरी। 3. Mid Day Meal Workers को राज्य सरकार द्वारा दी जा राशि में ₹300 की बढ़ौतरी। 4. SMC अध्यापकों का पारिश्रमिक 20 प्रतिशत प्रतिमाह बढ़ाना। 5. आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में ₹250 की बढ़ौतरी। 6. ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों को राज्य सरकार की ओर से ₹1,750 अतिरिक्त मानदेय का प्रावधान। 7. ऑगनबाड़ी सहायकों को ₹900 अतिरिक्त मानदेय का प्रावधान। 8. जल रक्षकों के मानदेय में ₹400 प्रतिमाह की बढ़ौतरी। 9. दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी ₹225 प्रतिदिन करना। 10. सभी सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरना। 	